दैनिक जागरण

वाराणसी, बुधवार
4 अप्रैल 2018

जेनरेट ई-वे बिल 15 दिन ही मान्य

जागरण संवाददाता, वाराणसी : वाणिज्य कर विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर डा. पीके उपाध्याय ने कहा कि ई-वे बिल जेनरेट होने के बाद वैधता अवधि एक से 15 दिन तक ही मान्य होगा। वैधता 50 से एक हजार किलोमीटर की दूरी पर निर्भर होती है, जो एक दिन से लेकर 15 दिन तक की हो सकती है। वह इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कामर्स उत्तर प्रदेश वाराणसी शाखा की तरफ से अंधरापुल स्थित एक होटल में मंगलवार को आयोजित 'राष्ट्रीय ई-वे बिल' विषयक कार्यशाला में मुख्य वक्ता थे।

असिस्टेंट कमिश्नर डा. उपाध्याय ने कहा कि ई-वे बिल को सिर्फ माल भेजने वाला जारी करने के 24 घंटे के अंदर ही निरस्त कर सकता है, लेकिन यदि अधिकारियों ने इसे सत्यापित कर दिया तो वह निरस्त नहीं होगा। अधिकारी यह तय करेंगे कि ई-वे बिल की राशि सही है या नहीं। इसके साथ ही माल का बीजक, चालान आदि आवश्यक कागजात रखना और मांगने पर दिखाना होगा अन्यथा जुर्माना लग सकता है। ई-वे बिल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या संशोधन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार व्यापार के करीब सारे आंकड़े विभाग के पास उपलब्ध होंगे, जिससे उन्हें कर निर्धारण में सुविधा होगी। इस दौरान उन्होंने निर्यातकों एवं उद्यमियों की भ्रांतियों को दूर भी किया। स्वागत संस्था के अध्यक्ष विनय शुक्ला ने किया। मुकुल शाह, जयप्रकाश मुंदड़ा, अहसान खान, भरत अग्रवाल, अरुण अग्रवाल, राज अग्रवाल, आरके गोयल, अनिता डे, सुब्रतो पॉल, साहिल गर्ग, राजेश श्रीवास्तव, सौरभ शाह आदि थे।

इंडो अमेरिकन चैंबर ऑफ कामर्स की ओर से ई-वे बिल कार्यशाला में जानकारी देते वाणिज्यकर अधिकारी

- आइएसीसी की कार्यशाला में दूर की गई कारोबारियों की भ्रांतियां
- दूरी के हिसाब से होता है वैधता तिथि का निर्धारण
- माल का बीजक व चालान दिखाना अनिवार्य

दैनिक जागरण
वाराणसी, 4 अप्रैल 2018
inext

ई-वे बिल अब 15 दिन तक ही मान्य

ई-वे बिल जेनरेट होने के बाद वैधता अवधि एक से 15 दिन तक ही मान्य होगा. वैधता 50 से एक हजार किलोमीटर की दूरी पर निर्भर होती है, जो एक दिन से लेकर 15 दिन तक की हो सकती है. ये बातें वाणिज्य कर विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर डॉ. पीके उपाध्याय ने मंगलवार को इंडो-अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से आयोजित 'राष्ट्रीय ई-वे बिल' वर्कशॉप में कही. वेलकम संस्था के अध्यक्ष विनय शुक्ला ने किया. वर्कशॉप में मुकुल शाह, जयप्रकाश मुंदड़ा, अहसान खान, भरत अग्रवाल, अरुण अग्रवाल, राज अग्रवाल, आरके गोयल, अनिता डे, सुब्रतो पॉल, साहिल गर्ग, राजेश, सौरभ शाह आदि रहे.

हिन्दुस्तान
तरक्की को चाहिए नया नजरिया
बुधवार, 04 अप्रैल 2018, वाराणसी,

ई-वे बिल पर इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स ने सेमिनार में कारोबारियों को बताई बारीकियां

ई-वे बिल में प्रिंट जरूरी नहीं, एसएमएस ही काफी

सहूलियत

वाराणसी | कार्यालय संवाददाता

व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों को ई-वे बिल का प्रिंट रखना जरूरी नहीं है। वे जीएसटी पोर्टल से आये मैसेज को दिखाकर भी माल की आवाजाही कर सकते हैं।

मंगलवार को इण्डो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से अंधरापुल स्थित होटल रीजेंसी में आयोजित सेमिनार में वाणिज्य कर विभाग असिस्टेंट कमिश्नर प्रमोद उपाध्याय ने बतौर मुख्य वक्ता यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ई-मेल पर आये फॉर्मेट की पीडीएफ फाइल बनाकर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। रास्ते में इंफोर्समेंट एजेंसी की ओर से पूछताछ में एसएमएस या मोबाइल पर पीडीएफ फाइल दिखाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्य में जॉब वर्क के लिये भी ई-वे बिल जरूरी है।

चैंबर के उत्तर प्रदेश शाखा के अध्यक्ष विनय कुमार शुक्ला ने बताया कि निर्यातकों, उद्यमियों ने नेशनल ई-वे बिल को लेकर सवाल पूछे।

पूर्व अध्यक्ष मुकुल कुमार शाह ने बताया कि व्यापारियों को जीएसटी पोर्टल पर ई-वे बिल के लिये लाग इन से लेकर फॉर्म भरने की जानकारी दी गई। इस मौके पर जयप्रकाश मुंदड़ा, अरुण अग्रवाल, शिशिर उपाध्याय, राज अग्रवाल, सौरभ शाह, साहिल गर्ग, भरत अग्रवाल, एहसान खान, राजीव अग्रवाल, मुकंद अग्रवाल मौजूद थे।

अंधरापुल स्थित होटल रीजेंसी में मंगलवार को नेशनल ई-वे बिल पर जानकारी देते प्रमोद उपाध्याय (बीच में)। मंच पर मौजूद मुकुल शाह व विनय कुमार शुक्ला (बायें से दायें)। • हिन्दुस्तान

सेमिनार

- रास्ते में जीएसटी पोर्टल का मैसेज दिखाकर चल सकता है काम
- निर्यातकों, उद्यमियों ने शांत की अपनी जिज्ञासा

वाराणसी, बुधवार, 4 अप्रैल, 2018

परख सच की

जनसंदेश टाइम्स

जेनरेट ई-वे बिल प्रंद्रह दिनों तक ही रहेगा मान्य

वाराणसी। वाणिज्य कर विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर डा. पीके उपाध्याय ने कहा कि ई-वे बिल जेनरेट होने के बाद वैधता अवधि एक से 15 दिन तक ही मान्य होगा। वैधता 50 से एक हजार किलोमीटर की दूरी पर निर्भर होती है, जो एक दिन से लेकर 15 दिन तक की हो सकती है। वह इण्डो-अमेरिकन चैम्बर ऑफ कामर्स (आईएसीसी) उत्तर प्रदेश वाराणसी शाखा की तरफ से अंधरापुल स्थित एक होटल में मंगलवार को आयोजित 'राष्ट्रीय ई-वे बिल' विषयक कार्यशाला में मुख्य वक्ता थे।

असिस्टेंट कमिश्नर डा. उपाध्याय ने कहा कि ई-वे बिल को केवल माल भेजने वाला जारी करने के 24 घंटे के अंदर ही निरस्त कर सकता है, लेकिन यदि अधिकारियों ने इसे सत्यापित कर दिया तो वह निरस्त नहीं होगा। अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ई-वे बिल की राशि सही

कार्यशाला

दूरी के हिसाब से होता है वैद्यता तिथि का निर्धारण

सत्यापन के बाद ई-वे बिल को नहीं कर सकते निरस्त

आईएसीसी का आयोजन दूर हुई भ्रांतियां

है अथवा नहीं। इसके साथ ही माल का बीजक, चालान आदि आवश्यक कागजात रखना और मांगने पर दिखाना होगा अन्यथा जुर्माना लग सकता है। उन्होंने बताया कि ई-वे बिल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या संशोधन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार व्यापार के करीब सारे आंकड़े विभाग के पास उपलब्ध होंगे, जिससे उन्हें कर

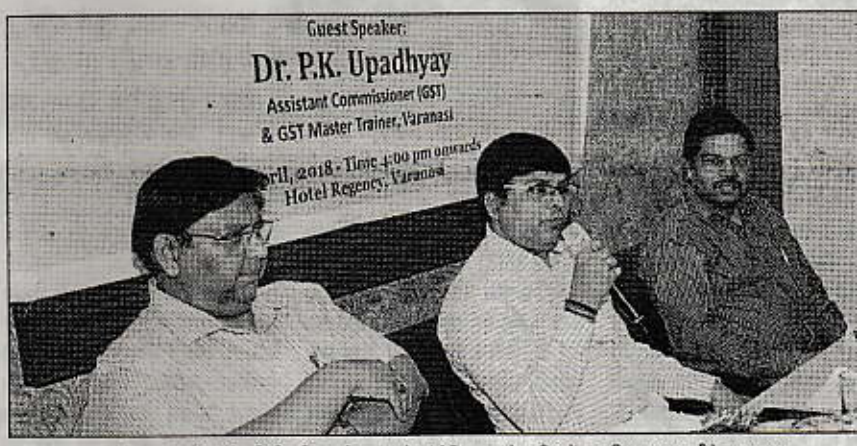

मंगलवार को आईएसीसी की कार्यशाला को संबोधित करते असिस्टेंट कमिश्नर डा. पीके उपाध्याय

निर्धारण में सुविधा होगी। इस दौरान उन्होंने निर्यातकों एवं उद्यमियों की भ्रांतियों को दूर भी किया। स्वागत संस्था के अध्यक्ष विनय कुमार शुक्ला ने किया। कार्यशाला में मुकुल कुमार शाह, जयप्रकाश मुंदड़ा, अहसान खान, भरत अग्रवाल, अरुण अग्रवाल, राज अग्रवाल, आरके गोयल, अनिता डे, पॉल, साहिल गर्ग, सौरभ शाह, श्रीवास्तव आदि थे।

भारत

वाराणसी, बुधवार ४ अप्रैल २०१८ स

टैक्स प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाना जीएसटी का उद्देश्य

जीएसटी मास्टर ट्रेनर एवं उपायुक्त डाक्टर पीके उपाध्याय ने कहा कि भारत सरकार की महत्वपूर्ण कर योजना जीएसटी का उद्देश्य देश के मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों तथा निर्यात से जुड़े उद्यमियों से संबंधित टैक्स प्रणाली को सरल एवं पारदर्शी बनाना है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ई-वे बिल, के प्राविधान जीएसटी लागू करने की दिशा में सकारात्मक कदम है। इण्डो-अमेरिकन चैम्बर आफ कामर्स उत्तर प्रदेश, शाखा वाराणसी की ओर से मंगलवार को एक होटल में जीएसटी पर आयोजित गोष्ठी में डाक्टर उपाध्याय ने विगत १० मार्च को आयोजित जीएसटी की २६वीं काउंसिल में यह निर्णय किया गया था कि इसे अन्तरराज्यीय व्यापार में एक अप्रैल, २०१८ से अनिवार्य कर दिया जायेगा। इसे लागू करने के लिए देश के राज्यों को चार भागों में विभाजित किया गया है जिनमें यह चरणबद्ध रूप से लगू किया जायेगा। इसे लगू करने के लिए देश के राज्यों को चार भागों में विभाजित किया गया है जिनमें यह चरणबद्ध रूप से लागू किया जायेगा और एक जून से यह पूरे देश में प्रभावी हो जायेगा। उन्होंने कहा कि ई वे बिल एक इलेक्ट्रानिक अनुमतिपत्र होता हहै। जिसे नियम १३९ के आधीन जारी किया जाता है। इसे जारी करने लिए किसी कर कार्यालय में नहीं जाना होगा। ई-वे बिल इंटरनेट की सहायता से एक निवत पोर्टल पर एकक निश्चित फार्म भर कर जारी किया जा सकता है। इस फार्म के दो भाग होते हैं- पहले भाग में भेजे जाने वाले माल का विवरण होता है तथा दूसरे भाग में माल

ढोने वाले ट्रान्सपोर्टर का विवरण होता हहै। एक राज्य से दूसरे राज्य में माल भेजने के लिए ईवे बिल जारी करना जरुरी है। इसे माल भेजने वाला, माल प्राप्त करने वाला या माल ढोने वाला जारी कर सकता है। कुछ वस्तुओं पर ई-वे बिलजारी करने की आवश्यकता नहीं है जिनका स्पष्ट वर्गीकरण कर दिया गया है। जिन संदाओं को आपूर्ति नहीं माना जाता उनके लिए भी ई-वे बिल जारी करने की आवश्यकता नहीं है। यदि भेजे जाने वाले माल का मूल्य टैक्स सहित ५०,००० रुपये से अधिक है तो अनिवार्यरूप से ई-वे बिल जारी होगा। अतिथियों का स्वागत श्री विजय कुमार शुक्ल ने किया। इण्डो अमेरिकन चैम्बर आफ कामर्स, उत्तर प्रदेश शाखा, वाराणसी के वरिष्ठ सदस्य श्री अहसान खान, भरत अग्रवाल, अरूण कुमार अग्रवाल, राज अग्रवाल, आरके गोयल, अनिता डे, सुव्रतो कुमार पाल, साहिल गर्ग, सौरभ शाह, आलोक बरनवाल, खाकसार आलम, अरविन्द गुप्त, गोपाल टेक चन्दानी, आरके कोठारी, राजेश कुमार श्रीवास्तव, सीए मुकुल शाह, सीए कमलेश अग्रवाल, सीए ब्रिजेश कुमार जायसवाल, उमेश भल्ला, चन्द्रशेखर मित्र, अमित बनरवाल, संजीव खन्ना आदि ने कार्यशाला में सक्रिय रूप से भाग लिया। अंत में श्री जयप्रकाश मूंदड़ा ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया।